राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2009–10/ 15321-58 जयपुर, दिनांक 29.6.10

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़।

विषयः– अभाव संवत 2066 में अभावग्रस्त जिलों में चारा परिवहन अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

कतिपय जिला कलक्टर्स द्वारा अभावग्रस्त जिलों से चारा परिवहन अनुमत होने के संबन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है। वर्तमान में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद संख्या 5 के बिन्दु 5.4.5 में यह निर्देश हैं कि" चारा परिवहन, अभावग्रस्त जिले से अनुमत नहीं किया जावेगा"।

राज्य स्तर पर इस मुद्दे की समीक्षा उपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि आंशिक रूप से अभावग्रस्त जिलों में अधिशेष (Surplus) चारा उपलब्ध होने पर वहां से राज्य के ही अन्य अभावग्रस्त जिलों को चारा परिवहन अनुमत किया जा सकेगा।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि संशोधित निर्देश अनुसार चारा व्यवस्था/चारा परिवहन अनुदान भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का श्रम करें।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :–
1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ठ सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिवगण।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव